

विचार बिन्दु

नारी सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुःख, बड़े से बड़ा संकट। नहीं सह सकती तो अपनी उमंगों का कुचला जाना। -प्रेमचंद

संदर्भ महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव परिणाम महिला मतदाताओं की मुखरता से बदल रही चुनावी नतीजों की तस्वीर

महाराष्ट्र विधान सभा के चुनावों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी नतीजों को बदलने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में महिलाओं के 6 प्रतिशत अधिक मतदान ने चुनावी परिणामों को ही पूरी तरह से बदल कर रखा है। इसी साल की शुरुआत में हुए लोकसभा के चुनाव परिणामों से महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही। मध्यप्रदेश से निकली लाइली बहना महाराष्ट्र तक आते आते माझी लाइली बहना योजना ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसी साल लागू करने और चुनाव से पहले ही तीन किशत लक्षित महिलाओं के खातों में जाने से पूरा माहौल ही बदल गया। योजना शुरू करने पर विरोध किया और यहां तक कि कोर्ट में जनहित याचिकाएं लाई गईं पर कोर्ट द्वारा योजना को सही ठहराने और सीधे खाते में पैसे आने से महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास जागू नहीं हुआ। महाराष्ट्र गठबंधन महिलाओं से जुड़ी इस योजना को समझने में ही देरी कर दी और भले ही बाद में चुनाव घोषणा पत्र या यों कहे कि चुनावी वादों में अधिक पैसा देने का वादा भी किया पर महिलाओं का विश्वास नहीं जीत पाया। परिणाम सामने हैं जो मिल रहा है वह बदकिरामी को लुभाने से अधिक विश्वास जताया। सही मायने में देखा जाए तो महिला शक्ति गेम चेंजर बन कर सामने आई। कहा तो यहां तक जाने लगा है कि महिलाएं जिनके साथ है सला भी उनके हाथ ही लगेगी।

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावों में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी तारीफे काबिल है। गत चुनावों चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यों की विधानसभाओं के देश की महिला वोटर्स ने नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजे की बात यह भी है कि चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक मुखर होकर मतदान किया है। अब तो यह माना जाने लगा है कि देश के एक दर्जन के करीब राज्यों में महिलाओं के वोट ही नई सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं। तस्वीर का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि मतदान ही नहीं चुनावों में सक्रियता से हिस्सा लेने और चुनावों में उम्मीदवारी जताने में भी महिलाएं आगे आई हैं। देश के पहले और दूसरे लोकसभा के आमचुनावों में जहां 22 महिला सांसद चुन कर आई थी वहीं गत 2024 के आमचुनाव में 74 महिला सांसद चुन कर आईं। हालांकि आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नए नए सबबाग दिखाने के बावजूद टिकट वितरण के समय महिलाओं की हिस्सेदारी कम ही रह जाती है। अनुभव तो यही बताता है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आधी तो दूर की बात एक तिहाई सीटों

पर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाते हैं। इस बार महाराष्ट्र चुनावों में 50 महिलाओं को टिकट दिए गए और 21 महिलाएं चुनाव जीत कर विधायक बनीं हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गांव या शहर महिलाएं अब घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली या पुरुष के कहे अनुसार मतदान करने वाली नहीं रही हैं। पुरुषों के हां में हां मिलाने वाली स्थिति से बहुत बाहर आ चुकी है आज देश की महिलाएं संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं सक्रियता से हिस्सा लेने लगी हैं। चुनावों में उम्मीदवारी भी जताती हैं तो चुनाव कैंप के दौरान अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती हैं। दूसरी और मतदान में भी आगे आकर हिस्सा लेने लगी हैं। देखा जाए तो महिलाओं ने जिस दल पर अधिक भरोसा जताया था यों कहे कि जिस दल को अधिक मत दिए उसी दल की सरकार बनी। मजे की बात यह है कि अब सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के हर संभव प्रयास में जुटे हैं। यही कारण है कि महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम ना केवल पोषित किये जा रहे हैं अपितु राजनीतिक दलों के आने वाले चुनाव घोषणा पत्रों में महिला मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि आज की महिला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं और उसको दबाव या अन्य तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। कम से कम चुनावों के परिणाम तो इसी और इंगित कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि माझी लाइली बहना योजना में 2.50 लाख आय वाली 18 से 60 साल की महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया। इससे यह साफ हो जाता है कि यह वर्ग कमजोर आर्थिक आय वाली महिलाओं का है। यहां साफ हो जाता है कि महिलाओं का यह वर्ग वो है जिसके बारे में यह माना जाता है कि इस वर्ग में महिलाएं पुरुषों पर अधिक निर्भर होती हैं पर महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के चुनावी नतीजों से यह साफ हो गया है कि महिलाएं पुरुषों की हां में हां मिलाने का स्वयं निर्णय लेने लगी हैं और उसीसे ताजा नतीजें रबक कराते हैं।

खैर यह अलग बात है, पर यह साफ हो चुका है कि देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाने जा रही हैं। अब महिला मतदाताओं को कमतर नहीं आंका जा सकता। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसे सशुभ संकेत माना जा सकता है। इसे देश और लोकतंत्र दोनों के लिए ही सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है तो दूसरी ओर दुनिया के देशों के लिए भी भारत की महिलाएं एक मिसाल बन कर सामने आ रही हैं। इसमें कोई अविशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि भविष्य के चुनावों में भी राजनीतिक दलों को सला का स्वाद चखना है तो निगाहें महिला मतदाताओं की ओर रखनी ही होगी।

-अतिथि सम्पादक,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरुवार 28 नवम्बर, 2024

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2081, चित्रा नक्षत्र प्रातः 7:36 तक, सौभाग्य योग सायं 4:01 तक, गर करण सायं 7:32 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरु-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज प्रदीप व्रत है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:19 तक, चर 10:56 से 12:15 तक, लाभ-अमृत 12:15 से 2:52 तक, शुभ 4:10 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:00, सूर्यास्त 5:29

मेघ	सिंह	धनु
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।	मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।
वृष	कन्या	मकर
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।	आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्यों में प्रगति होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।	व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
मिथुन	तुला	कुंभ
व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।	व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
कर्क	वृश्चिक	मीन
घर/परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। परिवार में आपसी अनबन हो सकती है। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।	घर-व्यवस्था के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अमंगल कार्यों में समय खराब हो सकता है।	चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बने कार्य विगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानि हो सकती है।

उच्च शिक्षा - स्ववित्तीय पोषित शिक्षकों की व्यथा



प्रो. अशोक कुमार

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व के समग्र विकास एवं राष्ट्र के नागरिक तैयार करने में किसी भी देश में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा संरचना, पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्या गुणवत्ता, सुलभता तथा देश की संस्कृति के अनुरूप शिक्षा आदि विषयों पर सार्वजनिक चर्चा होती रही है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होती है और इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। जब पूरी दुनिया ने विद्यालय की कल्पना नहीं की थी, उस समय हमारे यहाँ विश्वविद्यालयी नालंदा विश्वविद्यालय, तत्कालीन विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे। परंतु वर्तमान में शिक्षा-व्यवस्था की विसंगतियाँ कहीं-न-कहीं बहुत कचोटती हैं।

भारत की स्वतंत्रता के बाद, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हुआ और इसी दौरान स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों का उदय हुआ। इन संस्थानों ने उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 और 90 के दशक में निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों के कारण स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। सरकारी महाविद्यालयों में सीमित सीटों के कारण, सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता था। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप कई नए स्ववित्तीय पोषित शिक्षण संस्थान स्थापित हुए। स्ववित्तीय पोषित शिक्षण संस्थान वे संस्थाएँ होते हैं जो सरकार से सीधी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। ये संस्थान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे कि फीस, दान, और अन्य आय के माध्यम से धन जुटाते हैं। 21वीं सदी में उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ती मांग के कारण स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में और वृद्धि हुई। शिक्षा में निजीकरण के उदय के साथ इस विचार ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की, विशेष रूप से भारत में, जहाँ सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों को स्व-वित्तपोषित आधार पर संचालित करने की अनुमति देनी शुरू कर दी, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ था कि वे संचालकों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सकारात्मक धन के बजाय छात्र शिक्षण पर निर्भर रहेंगे। स्ववित्तीय पोषित शिक्षण संस्थानों के विभिन्न प्रकार हैं जैसे निजी विश्वविद्यालय: ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से निजी धन पर चलते हैं। वे अपनी स्वयं की पाठ्यक्रम,

फीस संरचना और प्रवेश मानदंड निर्धारित करते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय: ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। वे स्वायत्त होते हैं और अपनी नीतियाँ स्वयं बना सकते हैं। कॉलेज: ये संस्थान विश्वविद्यालयों से संबद्ध होते हैं और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। संस्थान: ये संस्थान किसी विशेष विषय या क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। उदाहरण के लिए, मेडिकल संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रबंधन संस्थान आदि। इन स्ववित्तीय पोषित शिक्षण संस्थानों ने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की पेशकश शुरू की, जिससे छात्रों के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हुए। सरकार की नई शिक्षा नीतियों ने निजी क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों जनसंख्या और शिक्षा के प्रति जागरूकता: बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण उच्च शिक्षा की मांग में वृद्धि हुई।

वर्तमान में (2021-22) की रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत 1168 विश्वविद्यालयों में से 685 सरकारी प्रबंधन वाले हैं। 10 निजी डीम्ड और 473 निजी हैं। पंजीकृत कॉलेज 45473 हैं। महाविद्यालयों में से 21.5 प्रतिशत कॉलेज सरकारी कॉलेज हैं, 13.2 प्रतिशत निजी (सहायता प्राप्त) हैं और 65.3 निजी (गैर-सहायता प्राप्त) हैं। सरकारी कॉलेज कुल महाविद्यालयों का 21.5 प्रतिशत हिस्सा है, 13.3 प्रतिशत निजी (सहायता प्राप्त) कॉलेज हैं, है, जबकि 65.2 प्रतिशत निजी (गैर-सहायता प्राप्त) कॉलेज हैं, जिनमें छात्रों का कुल नामांकन का केवल 44.6 प्रतिशत है।

आज एक बहुत ही मुख्य विषय है कि क्या शिक्षा के लिए जो शिक्षण संस्थान खुले जा रहे हैं विशेष तौर से निजी क्षेत्रों में क्या यह शिक्षा के लिए खुले जा रहे हैं या व्यवसाय के लिए खोले जा रहे हैं यह बहुत ही गंभीर विषय है इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। निजी कॉलेज क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तेजी से बढ़ने दिया गया है। ऐसे अधिकांश संस्थान वास्तव में शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में रियल एस्टेट रैकेट हैं। उनमें से अधिकांश राजनेताओं और बिल्डरों द्वारा नियंत्रित हैं। किसी बड़े शहर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता नष्ट खिलानियों के लिए एक बड़ी बाधा की तरह लगती है, जिनके पास बहुत अधिक धन या राजनीतिक संबंध हैं। निजी शिक्षा क्षेत्र पर पर्याप्त संसाधनों वाले व्यक्तियों, अक्सर राजनेताओं द्वारा एकाधिकार करने में योगदान देता है।

एक ओर भी प्रश्न मन में आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण से वास्तविक लाभ किसको है - सरकार को है या छात्रों को है या प्रबंधकों को है ! उच्च शिक्षा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। डिग्री महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित शिक्षक अत्यधिक निराश महसूस कर रहे हैं अधिकांश मामलों में हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में भी उचित योग्य शिक्षक नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल

6,549 फ़ैकल्टी के पद खाली हैं। उनमें से अधिकांश दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, जहाँ 900 रिक्त पद हैं, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 622 पद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 532 पद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 498 पद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 326 रिक्त संकाय पद हैं। विकसित देश में शिक्षा का भविष्य अस्थायी शिक्षकों के सहारे पर निर्भर है जिनको विभिन्न नाम से जाना जाता है। अस्थायी, एडहॉक, सविदा, पार्टटाइमर, अतिथि, मानद, विजिटिंग, आवश्यकता आधारित, एमओयू प्रोफेसर, शोधविद्वान, ऑनलाइन अतिथि संकाय, स्व अस्थायी। विशेष: प्रतिस्थापन, सत्रिय, सहायक शिक्षक। शिक्षा का विकास सिर्फ कॉलेज खोलने से नहीं होता ! सरकार ने अब तक समय में नए कॉलेज खोलकर एक कॉलेजियन स्थापित किया है लेकिन क्या स्थिति चाकई ऐसी है कि उस पर गर्व किया जाए? क्या केवल कॉलेज विश्वविद्यालय एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृता विश्व विद्यापीठम, वीआईटी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ओपी ज़िंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, व्हेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी), एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोक विश्वविद्यालयों में स्थापित पोषित डिग्री महाविद्यालयों में बीएससी, बीकॉम का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित सिर्फ 5000 - 6000 रूपए वार्षिक है। छात्रों द्वारा ली गई शिक्षण फीस पूरी तरह से शिक्षकों के वेतन पर खर्च नहीं होती है। शिक्षकों की भर्ती के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है, जिसका फायदा उठाकर संस्थान कम वेतन पर शिक्षकों की भर्ती करते हैं। भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में भी स्ववित्तीय पोषित संस्थानों का तेजी से विस्तार हुआ है। ये संस्थान आमतौर पर उच्च फीस लेते हैं और दावा करते हैं कि वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि, इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को भी अक्सर वेतन के मामले में शोषण का सामना करना पड़ता है। यह समस्या न केवल शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है बल्कि छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के लिए भी खतरा है। समस्या का मूल कारण लागत वसूली का दबाव है। स्ववित्तीय पोषित संस्थानों पर उच्च लागत वसूली का दबाव होता है। वे अपनी बुनियादी सुविधाओं, कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक फीस वसूल करते हैं। इस दबाव में वे अक्सर शिक्षकों के वेतन पर कंजूसी करते हैं। यही नहीं बहुत से महाविद्यालयों में अनुमोदित शिक्षकों की जगह किसी और से काम लिया जाता है। शिक्षक-प्राचार्य नियमित तौर पर उपस्थित नहीं रहते और पढ़ाई की गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इक्का-दुक्का महाविद्यालयों को छोड़कर ज्यादातर की यही स्थिति है। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की आय का एकमात्र जरिया फीस ही है इसलिए इसे बढ़ाने के अलावा उच्च शिक्षा की रक्षा और दिशा सुधारने का दूसरा कोई विकल्प

नहीं है। इन शिक्षकों से ज्यादा एक दिन की दिहाड़ी 600 रुपये तो मजदूर पाता है। अगर औसत निकाला जाए तो अधिकतम वेतन 10 से 12 हजार रुपये तक है। ये स्थिति तब है जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमित शिक्षकों के जितना वेतन इन्हें भी देने को कहती है। उच्च शिक्षा में इतिहास, हिंदी जैसे विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन तो और भी कम है। इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को पांच-पांच हजार रुपये तक का वेतन दिया जाता है। इस पर भी साल में सिर्फ 11 महीनों का वेतन मिलता है। यह समस्या कई कारणों से जटिल है। ये संस्थान सरकार से स्वायत्त होते हैं, जिसके कारण वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इन संस्थानों में फीस शिक्षकों से बहुत अंतर है। भारत में कई निजी विश्वविद्यालय हैं जो लाखों (5-30 लाख तक) में टचयून फीस के साथ स्नातक कार्यक्रम प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृता विश्व विद्यापीठम, वीआईटी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ओपी ज़िंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, व्हेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी), एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोक विश्वविद्यालयों में स्थापित पोषित डिग्री महाविद्यालयों में बीएससी, बीकॉम का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित सिर्फ 5000 - 6000 रूपए वार्षिक है। छात्रों द्वारा ली गई शिक्षण फीस पूरी तरह से शिक्षकों के वेतन पर खर्च नहीं होती है। शिक्षकों की भर्ती के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है, जिसका फायदा उठाकर संस्थान कम वेतन पर शिक्षकों की भर्ती करते हैं। भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में भी स्ववित्तीय पोषित संस्थानों का तेजी से विस्तार हुआ है। ये संस्थान आमतौर पर उच्च फीस लेते हैं और दावा करते हैं कि वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि, इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को भी अक्सर वेतन के मामले में शोषण का सामना करना पड़ता है। यह समस्या न केवल शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है बल्कि छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के लिए भी खतरा है। समस्या का मूल कारण लागत वसूली का दबाव है। स्ववित्तीय पोषित संस्थानों पर उच्च लागत वसूली का दबाव होता है। वे अपनी बुनियादी सुविधाओं, कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक फीस वसूल करते हैं। इस दबाव में वे अक्सर शिक्षकों के वेतन पर कंजूसी करते हैं। यही नहीं बहुत से महाविद्यालयों में अनुमोदित शिक्षकों की जगह किसी और से काम लिया जाता है। शिक्षक-प्राचार्य नियमित तौर पर उपस्थित नहीं रहते और पढ़ाई की गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इक्का-दुक्का महाविद्यालयों को छोड़कर ज्यादातर की यही स्थिति है। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की आय का एकमात्र जरिया फीस ही है इसलिए इसे बढ़ाने के अलावा उच्च शिक्षा की रक्षा और दिशा सुधारने का दूसरा कोई विकल्प

नहीं है। कई निजी महाविद्यालयों का तर्क है कि सुदूर टामीण क्षेत्रों में कॉलेज की आय उतनी नहीं हो पाती है। वहीं यूजीसी की योग्यता के शिक्षक नहीं मिल पाते। संस्थान कम वेतन पर शिक्षकों की भर्ती करते हैं। कम वेतन के कारण योग्य शिक्षक इन संस्थानों में काम करने से हिचकिचाते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कम वेतन और असुरक्षित कार्य वातावरण के कारण योग्य शिक्षक इन संस्थानों को छोड़कर अन्य जगहों पर रोजगार की तलाश करते हैं। योग्य शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। छात्रों को कम गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है और उन्हें उच्च फीस देनी पड़ती है। कम गुणवत्ता वाले शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियरों का उत्पादन होने से समाज को नुकसान होता है। इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को अक्सर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों की तरह सुरक्षा और अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वेतन, कार्यकाल और पेंशनिक के मामले में वे संस्थान प्रबंधन के दया पर निर्भर रहते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने अपने परिसर के स्ववित्तपोषित शिक्षकों को एक अच्छा वेतन एवं अन्य सुविधाओं देने की मांग को स्वीकार कर लिया है लेकिन विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कई संस्थान शिक्षकों पर विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाते हैं जैसे कि अनुपस्थिति के लिए जुर्माना, लक्ष्य पूरे नहीं करने पर वेतन काटा जाना आदि। इसको लेकर कई बार विभिन्न प्रदेशों में सरकार तक शिकायतें की गईं। लेकिन, कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि सूत्रों के अनुसार ज्यादातर शिक्षण संस्थान नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारियों के संपर्क में या उनका इन संस्थानों से सीधे या अप्रत आगतक रूप से जुड़े हैं। ऐसे में वह भी इनमें बदलाव नहीं चाहते हैं।

स्ववित्तीय पोषित डिग्री महाविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतन की समस्या के समाधान के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सरकार को इन संस्थानों में शिक्षकों के वेतन को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। संस्थानों को अपने विधायक विवरणों को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि शिक्षक यह जान सकें कि संस्थान कितना मुनाफा कमा रहा है और शिक्षकों के वेतन पर कितना खर्च हो रहा है। संस्थानों को अपनी वित्तीय स्थिति और फीस संरचना के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। शिक्षकों को कर्मचारी संघों का गठन करके अपनी आवाज को मजबूत बनाना चाहिए। शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें। छात्रों को भी इस मुद्दे के प्रति जागरूक होना चाहिए और शिक्षकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने चाहिए। सरकार, संस्थान, शिक्षक और छात्र सभी को इस समस्या के समाधान के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

- प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय

“बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान को राजस्थान महिला कल्याण मण्डल का समर्थन

अजमेर (कांस)। भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद जिला प्रशासन ने राजस्थान महिला कल्याण मण्डल के सहयोग से रैलियों व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अजमेर में हुए समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई के सहायक निदेशक संजय सांबलानी ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं एवं पदाधिकारियों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई, साथ ही संस्था मुख्यालय चाँचियावास में संयुक्त निदेशक अनुराग सक्सेना, अतिरिक्त निदेशक वैष्णव शर्मा, लेखाधिकारी नेमीचन्द्र तैरूप, सागर कॉलेज के इन्चार्ज डॉ. भवमान सहाय शर्मा की उपस्थिति में उपनिदेशक नानुलाल प्रजापति ने कॉलेज के छात्र-छात्राओं सहित स्टाफ को बाल विवाह मुक्त अजमेर के लिए शपथ दिलाते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी। राजस्थान महिला कल्याण मण्डल बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के देशव्यापी गठबंधन 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन्स' का सहयोगी संगठन है जो कि राजस्थान के 6 जिलों में बाल विवाह की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए पिछले 3 वर्ष से कार्य कर रहा है। भारत सरकार के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के उद्घाटन के मौके पर संस्था ने अपने कार्यक्रम के अजमेर, नागौर, बीकानेर, चुरू, झुझुनू, तथा डीडवाना-कुचामन जिलों जागरूकता रैलियों का आयोजन किया

और लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। संस्था टीम ने जिले के 50 से अधिक गाँवों में स्कूली बच्चों, महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। जिले में जगह-जगह हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सोएपीओ) के अलावा बाल विवाह पीड़िताओं ने भी भागीदारी की और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली। यह कार्यक्रम देश से बाल विवाह के खत्म के लिए भारत सरकार का बाल विवाह मुक्त भारत' के आव्हान के समर्थन में किया गया, जिसका उद्घाटन 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अनूपम देवी ने किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंचायतों और स्कूलों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही शपथ लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुँच जाएगी। इस मौके पर बाल विवाहों की सूचना व शिक्षावत के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू किया गया। इस राष्ट्रीय अभियान और जमीन पर इसके असर की चर्चा करते हुए संस्था के निदेशक राकेश कुमार कोशिक ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाल विवाह के खत्म के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया अभियान इस बात का सबूत है कि सरकार इस सामाजिक बुराई की गंभीरता से अवगत है। अभियान की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में संस्था टीम के दीपक जोरम, सतार मोहम्मद, ज्योति मण्डवलिआ, योगिता गौड़ ने सहयोग किया।

कोटा के प्रत्यक्ष ने सबसे कम उम्र के योग टीचर का विश्व रिकॉर्ड बनाया



कोटा में रहने वाले प्रत्यक्ष ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है।

कोटा, (निर्स) जिस उम्र में बच्चों को योग के नाम भी नहीं आते उस उम्र का एक योग टीचर कोटा में रहता है। वह कई बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। इस योग टीचर के नाम अब विश्व रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। यह उपलब्धि उन्हें अक्टूबर 2024 में ही मिली है। जिसके बाद प्रत्यक्ष ने विश्व के सबसे छोटे (कम उम्र) के योग टीचर से बने योग रिकॉर्ड बना लिया है। उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पूरी प्रक्रिया के बाद सर्टिफिकेट दिया है। इस सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड के लिए उन्होंने लंबी मेहनत की है।

प्रत्यक्ष कोरखेड़ा स्थित देवाशीष सिटी में अपने परिवार के साथ रहते हैं और यह सबकुछ उन्होंने अपनी मां दीक्षा वियस से ही सीखा है। इसके बाद प्रोफेशनल योग क्लास लिए और सिखाने लग गए हैं। प्रत्यक्ष के पिता गौरव वियस का कहना है कि सबसे कम उम्र के योग टीचर बनने यह रिकॉर्ड उनके बेटे ने 6 साल की उम्र में ही बना लिया जबकि 4 साल की उम्र से वह योग सीखने लग गया था, 5 साल की उम्र में सिखाने भी लग गया था। फिलहाल, प्रत्यक्ष की उम्र 7 साल है। रिकॉर्ड के लिए उन्होंने बीते साल अपनाई किया था। इससे पहले

यह रिकॉर्ड दुबई की एक लड़की के नाम था। वह साढ़े सात साल की थी। प्रत्यक्ष का कहना है कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रहना चाहिए वह खुद स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। अपनी मां और पिता के फोन को नहीं छूते हैं। केवल बात करने के लिए ही फोन लेते हैं। अन्य बच्चों की तरह गैस और कार्टून का शौक उन्हें नहीं है। कुछ देर टेलीविजन जरूर देखते हैं। सबसे छोटे योग गुरु का खिताब लेने से बाद उनकी इच्छा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें। साथ ही जंक फूड से बच्चों को दूर रहने की सलाह देते हैं।